संख्या-23/2026/266/22-4-2026-2018546

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च,2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1975/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 19.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में गृह विभाग (कारागार) के अनुदान संख्या-25 के राजस्व लेखाशीर्षक-2056 के लघुशीर्ष 101-03-समस्त कारागार के अन्तर्गत मानक मद 01-वेतन में उपलब्ध बचत रू0 700.00 लाख से समलघुशीर्ष के अन्तर्गत मानक मद 29-अनुरक्षण में रू0 500.00 लाख, 39-औषधि तथा रसायन में रू0 200.00 लाख इस प्रकार **कुल रू0 700.00 लाख** की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 19.01.2026 के माध्यम से प्राप्त पुनर्विनियोग प्रस्ताव पर कतिपय शर्तों के अधीन रू0 700.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित लेखाशीर्षक में पुनर्विनियोजित की गयी है-

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	01 (वेतन)	4,98,59,65,000 रुपये चार अरब अट्ठानबे करोड़ उनसठ लाख पैंसठ हजार मात्र	30,50,00,000 रुपये तीस करोड़ पचास लाख मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	4,91,59,65,000 रुपये चार अरब इक्यानबे करोड़ उनसठ लाख पैंसठ हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 7,00,00,000	₹ 7,00,00,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	39 (औषधि तथा रसायन)	23,00,00,000 रुपये तेईस करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	2025-2026
025	2056001010300 (समस्त कारागार)	29 (अनुरक्षण)	34,92,20,000 रुपये चौंतीस करोड़ बानबे लाख बीस हजार मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	39,92,20,000 रुपये उनतालीस करोड़ बानबे लाख बीस हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 7,00,00,000	₹ 7,00,00,000		

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2026 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कर लिया जायेगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृत किये जाने में विषय में महानिरीक्षक, कारागार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा प्रश्नगत सेवाओं के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियम एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व महानिरीक्षक, कारागार का होगा।

(5) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150,151 व 154 में विनिर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **(1)** रुपये 5,00,00,000 (**रुपये पाँच करोड़ मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखाशीर्षक 2056001010300 समस्त कारागार मानक मद 29 अनुरक्षण **(2)** रुपये 2,00,00,000 (**रुपये दो करोड़ मात्र**) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

व्ययक मे अनुदान संख्या 025 लेखाशीर्षक 2056001010300 समस्त कारागार मानक मद 39 औषधि तथा रसायन के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश मिश्र

संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2026/266(1)/22-4-2026-2018546, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल-आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

http://shasanades

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।